

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक / परीक्षा / 2019 / 526

जबलपुर दिनांक 21 अगस्त, 2019

अधिसूचना

अधिसूचित है कि सत्र 2019-20 में एम.पी. आनलाइन के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से रनातक / स्नातकोत्तर सामान्य पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के नामांकन की अधिसूचना कमांक /परीक्षा / 2019 / 528 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जा चुकी है। अतः छात्र/छात्राओं के नामांकन आनलाइन प्रिंटआउट महाविद्यालय/शिक्षण विभाग में प्राप्त करते समय इसी शैक्षण शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क का परीक्षण करने के उपरांत ही विश्वविद्यालय में जमा करायें। नामांकन संबंधी सभी अधिसूचनाओं पर लागू होगा।

1. जिन विद्यार्थियों ने म.प्र. के बाहर के राज्यों के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो इमीग्रेशन शुल्क 330/- निर्धारित है।
  2. जिन विद्यार्थियों ने म.प्र. के बाहर के राज्यों के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। उनका इमीग्रेशन शुल्क 4000/- निर्धारित है।
  3. ऐसे छात्र जिनका अध्ययन म.प्र. के किसी भी विद्यालय से हुआ है परन्तु उनका मान्यता प्राप्त बोर्ड म.प्र. के बाहर है जैसे— सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.ई. दिल्ली इमीग्रेशन शुल्क रु0 330/- निर्धारित है।
  4. यदि छात्राओं द्वारा अपना उपनाम एवं पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज करना चाहती है तो रु0 100/- के मूल शपथ पत्र के साथ नाम परिवर्तन शुल्क रु0 550/- चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने के उपरांत ही नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी है।
  5. यदि छात्राओं द्वारा अपना पूर्ण नाम परिवर्तित किया जाना है तो ऐसी छात्राएँ म.प्र. शासन के राज्य पत्र एवं मूल शपथ तथा शुल्क रु0 550/- विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने के उपरांत ही नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी है।
  6. सत्र 2019–20 में छात्र/छात्राएँ नियमित प्रवेश लिया है। ऐसे विद्यार्थियों से नामांकन नवीनीकरण शुल्क 330/- विश्वविद्यालय कोष में चालान के मध्याम से जमा करायें।
  7. जिन विद्यार्थियों ने आनलाइन नामांकन करते समय इमीग्रेशन एवं नवीनीकरण शुल्क आनलाइन में जमा नहीं किया है। उनका प्रिंट आउट जमा करते समय महाविद्यालय/शिक्षण विभाग उक्त राशि छात्र से प्राप्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करायें।
  8. छात्र/छात्राओं द्वारा म.प्र. बोर्ड सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.ई. दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण किया है। एवं नियमित प्रवेश लिया है। तो पात्रता प्रमाण—पत्र संबंधी जानकारी नामांकन शाखा एवं सामान्य विभाग से प्राप्त करने के पश्चात ही पात्र छात्र का नामांकन Approvel करें।
  9. महाविद्यालय उपरोक्त प्रिटाउट प्राप्त करने के पश्चात पूर्व की भाँति नामांकन सूची तैयार कर पेन डाइव एवं फाइल फोल्डर के साथ एक प्रति विश्वविद्यालय के नामांकन शाखा में जमा करायें।
  10. महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं के ऑन लाईन नामांकन Approvel करते समय छात्र की अंक सूची का मली भाँति परीक्षण कर मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय को ही Approvel करें। यदि महाविद्यालय द्वारा अमान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के ऑन लाईन नामांकन Approvel करता है तो सम्पर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। ऐसे अमान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के ऑन लाईन नामांकन जारी नहीं किये जावेंगे।
  11. नामांकन प्रपत्र क्रमांक 1 कृपया प्रत्येक पाठ्यक्रम की सूची अलग-अलग बनायें।

१२ नाम परिवर्तन प्रप्र

राजा का यूज़ी  
नाम

पिता  
नाम

फा

राजा  
नाम

फा दर्जना

परि फा नाम

माता फा नाम

आदेशानुसार  
उप कुलसचिव (परीक्षा)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2019

पु.क./परीक्षा/2019/५२६ "अ"

परिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित महाविद्यालयों के प्राचारणगण/विभागाध्यक्ष रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
2. कुलपरिजी/कुलसचिव जी के निज सहायक रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
4. प्रभारी नोडल अधिकारी नोडल सेंटर, ऑनलाईन, रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर इस निवेदन के साथ कि वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

  
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर